

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-23
आजमगढ़
अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-07/E.E./2020-21

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेंशियल बिड) वेब पोर्टल <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से तालिका संख्या-01 के अनुसार आमंत्रित की जाती है एवं तालिका संख्या-02 में वर्णित कार्यक्रमानुसार विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष आनलाइन खोली जायेगी।

तालिका संख्या-01

लाट सं०	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	घरोहर घनराशि (१० लाख)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु०	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मंगई ड्रेन के कि०मी० 176.600 से कि०मी० 168.600 तक के बीच बर्म/टेक हटाने का कार्य	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.30	15 दिवस	225+ 18% GST	C श्रेणी के या उसके ऊपर
2	मंगई ड्रेन के कि०मी० 167.000 से कि०मी० 161.500 के बीच बर्म/टेक हटाने का कार्य	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.90	15 दिवस	225+ 18% GST	C श्रेणी के या उसके ऊपर
3	गांगी ड्रेन के कि०मी० 96.000 से कि०मी० 84.00 तक तली में मिट्टी खुदाई व आन्तरिक सुधार कार्य	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	2.00	15 दिवस	300+ 18% GST	C श्रेणी के या उसके ऊपर

तालिका संख्या-02

Sl. No.	Particulars	Date	Time
1-	Notification	17-02-2021	
2-	Upload on website	24-02-2021	10:00
3-	Bid Submission Start	24-02-2021	10:00
4-	Bid Submission End	04-03-2021	12:00
5-	Technical Bid Opening	04-03-2021	14:00
6-	Financial Bid Opening	Date and Place to be decided after technical bid evaluation and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid	

नियम एवं शर्तें-

1. इस ई-निविदा की सूचना, विवरण व शर्तें उ०प्र० सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://idup.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
2. इस ई-निविदा की सूचना से सम्बंधित शेष सूचनायें, शर्तें एवं शुद्धीकरण सम्बंधी सूचनायें वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेंगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करने का कष्ट करें।
3. निविदादाता को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ में ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई-टेंडरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पढ़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यस्थल की जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता को निविदा मूल्य टैक्स सहित (जी०एस०टी०) की घनराशि तालिका-1 के कालम सं० 6 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा घरोहर घनराशि तालिका-1 के कालम सं० 4 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा।

9. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ केवल सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-23 आजमगढ़ से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
10. इच्छुक निविदादाताओं को चाहिए कि यह वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को ठीक प्रकार से वर्गीकृत करके समस्त अभिलेखों को इन्डैक्स में दिये गये क्रमानुसार ही व्यवस्थित एवं पेजिंग करके अपलोड करें।
11. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कार्य के दौरान शत-प्रतिशत किया जाएगा।
12. अनुभव -
निविदादाता को अनुभव के रूप में विगत पाँच वर्षों में सफलता पूर्वक संपादित किये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राजकीय विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हों -
(1) तीन समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 40 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
(2) दो समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 60 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
(3) एक समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 80 प्रतिशत से कम न हो,
13. टर्न ओवर - पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष की अधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट का वार्षिक टर्न ओवर 75% से कम न हो।
14. निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ रु0 100/- (नान जुडिशियल) स्टैम्प पेपर पर रु0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, रायल्टी व अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करना होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा दरों में आयकर, लेबर सेस, रायल्टी, टोल टैक्स तथा अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार समाहित होंगे जबकि निविदा दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं होगा। जी0एस0टी0 का भुगतान विभाग द्वारा बीजक की धनराशि के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
16. इस निविदा को बिना कारण बताये, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य निविदादाता छुपाकर अनुबन्ध करता है तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुए प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी एवं कराए गये कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
20. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्तागण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
21. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती एवं निविदा दाता को भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
22. द्वितीय वरिधता में आमंत्रित कार्यों का बजट प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।
23. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
24. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि तथा समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
25. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता IDT-1, IDT-2, IDT-3, निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
26. तकनीकी बिड के Evaluation में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

27. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के निहित प्राविधानों के क्रम में कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर से अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी ली जायेगी। वांछित सिक्योरिटी डिपोजिट एवं परफारमेंस गारण्टी की धनराशि अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
28. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से सामिप्राय अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो शासनादेश सं०: 16/326/17-27-सिं-3-08 टी०/84 दिनांक: 21.04.2017 के पैरा सं०-05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आशंका की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
29. शासनादेश संख्या-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2, दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
30. प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की रकॉन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है-
- क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) की प्रति।
- ख. पिछले तीन साल का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/एसेसमेन्ट आर्डर अथवा एसेसमेन्ट आर्डर न होने की दशा में आई०टी०आर० एक्नालेजमेन्ट।
- ग. श्रम विभाग द्वारा निर्गत वैध श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- घ. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
- ङ. पिछले तीन वर्ष की बैलेन्स शीट।
- च. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।
- छ. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
- ज. निविदादाता के पास निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रपत्र पर टी०एण्डपी० एवं अन्य विवरण।
- झ. टिन, पैन तथा जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की प्रति।
- ट. बिड कैंपेसिटी।
- ठ. निविदा मूल्य, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि तथा दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी का अनुबन्ध।

16-2-21
 अधिशासी अभियन्ता
 शासदा सहायक खण्ड-23
 आजमगढ़